

नगर निगम शिमला

जल एवं विकास विभाग

श्री ने

के लिए नए पानी/सिवरेज तथा पानी/ सिवरेज कनेक्शन के विस्तार हेतु आवेदन किया है !कृपया भवन में लगे पानी के कनेक्शन का विवरण दें! क्या भवन में आवेदन करता/ स्वामी /किराएदार है ?भवन में पानी / सिवरेज कनेक्शन देने में विभाग को कोए आपत्ति है या नहीं तथा तकनीकी सिफारिशों सहित नसित निर्धारित समय में

वापिस लौटाएं :-

विभाग प्रनुभाग	नसित प्राप्त करने की तिथि	नसित नियतन करने की तिथि	संबंधित अधिकारी /कर्मचारी के हस्ताक्षर
1. सहायक राजस्व -II एवं मीटर रीडर			
2. अधीक्षक (राजस्व)			
3.सहायक सचिव(कर)			
4.वास्तुकार /योजनाकार			
5. कनिष्ठ अभियन्ता वास्तुक योजनाकार कार्यालय			
6 कनिष्ठ अभियंता जल एवं विकास विभाग			
7 सहायक अभियंता जल एवं विकास विभाग			
8 सहायक राजस्व जल एवं विकास विभाग -I			

निगम अभियंता
जल एवं विकास विभाग,
नगर निगम,शिमला

1. पानी के नए घरेलू व्यवसाहिक कनेक्शन
2. नए सिवरेज कनेक्शन
3. पानी /सिवरेज कनेक्शन के विस्तार हेतु प्रावेदन- पत्र

सेवा मे

निगम अभियंता,
जल एवम विकास विभाग,
नगर निगम शिमला ।

1. भवन का नाम
2. स्थान
- 3 यदि भवन निर्माण का कार्य चल रहा है तो वर्तमान स्थिति क्या है
- 4.यदि नए निर्माण भवन के लिए चाहिए तो क्या भवन का नक्शा नगर निगम से स्वीकृत हो चुका है
- 5.यदि पुराने भवन के लिए तो निर्माण वर्ष
6. भवन के स्वामी का नाम
7. व्यक्ति का नाम जिसने कनेक्शन के लिए प्रावेदन किया है
8. जिसने कनेक्शन के लिए आवेदन किया है वह मालिक है या किरायदार
9. क्या भवन नगर निगम के सीमा के भीतर या बाहर आता है
10. पाइप की ब्यास
- 11.(क) फलश सिस्टम की संख्या
- (ख) पानी के नलकों की संख्या
12. पत्राचार हेतु पता (दूरभाष नo.सहित)
13. स्थाई पता (दूरभाष नo. सहित).....
14. यदि सिवरेज कनेक्शन चाहिए तो पानी के स्वीकृत कनेक्शन का ब्यौरा :
(क) कनेक्शनों का खाता संख्या
- (ख) अन्तिम अदायगी रसीद की प्रतिलिपि

हस्ताक्षर
लिसेंस प्राप्त पलम्बर
मोहर सहित तथा दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर

कार्यरूप प्रयोग हेतु

निगम अभियन्त

स्वीकृत प्राधिकारी

पद नोट: यह आवेदन पत्र ट्रेसिंग क्लॉथ पर साईट प्लान सहित भेजेँ जिसमे नगर निगम की पानी की नजदिकी लाइन/सीवरेज पाइपें तथा स्थान दर्शाया गया हो जो की म्युनिसिपल ड्रेनेज के अनुसार सेनेटरी कार्य हेतु हो !पानी की लाइन विभिन्न रंगों मे दर्शाई गयी हो जो की सेनिटरी कार्य हेतु प्रयोग मे लाई जाती है ।

कार्यालय प्रयोग हेतु :

कनीष्ट अभियंता/ सहायक अभियंता की सिफारिश:

निमंलिखित शर्तों के आधार पर स्वीकृति हेतु सिफरिश की जाती है :-

- 1.प्रार्थी को मीटर चार्जिज के रुपयेजमा करवाने होंगे ।
- 2.प्रार्थी को प्रतिभूति के रुपये.....जमा करवाने होंगे ।
- 3.प्रार्थी को सीवरेज कनेक्शन चार्जिज के रुपये.....जमा करवाने होंगे ।
- 4.पानी की खपत रुपयेप्रति 1000 लीटर वसूल किये जायेंगे ।

5. रुपये.....प्रति मास रख रखाव हेतु वसूल लिए जायेंगे ।

6. प्रार्थी द्वारा सडक खोदने के लिये सम्बन्धित विभाग से पूर्व अनुमति ली जाए ।

सहायक अभियंता

कनिष्ठ अभियंता ।

तकनीकी सिफारिश फार्म

1.वर्तमान मे पानी मालिक /किरयादार द्वारा कहाँ से प्रयोग किया जा रहा है ?

2.कनेक्शन देने की सिफारिश करते समय सहायक अभियंता /कनिष्ठ अभियंता यह भी प्रमाणित करें कि कनेक्शन पॉइंट से बाहर पानी की सप्लाई पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा ।

3. क्या प्रस्तावित कनेक्शन मेन लाइन /ब्रांच लाइन से पानी का कनेक्शन प्रस्तावित किया गया है,उस लाइन /प्रकार भी विशेष रूप से दर्शायें ।

4. क्या यह कनेक्शन व्यावसायिक है या घरेलू ?

5. क्या क्षेत्र निगम सीमा मे आता है या नगर निगम सीमा के बाहर आता है।

6. क्या कनेक्शन देने की सिफारिश की गई है या तकनीकी कठिनता के कारण अस्वीकार करने की सिफारिश की गई है ?

सहायक अभियंता

कनिष्ठ अभियंता